<u>प्रेस-नोट</u> <u>थाना बरूआसागर</u> <u>वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक- 21.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही के क्रम में थाना बरूआसागर पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का विवरण –

दिनांक 21.01.2025 को थाना बरूआसागर पुलिस टीम शांति व्यवस्था ड्यूटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वस्तु व तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी हेतु थाना स्थानीय से रवाना होकर अभियुक्त- प्रेमनारायण पुत्र दुर्जन कुशवाहा निवासी बन्ने थाना पलेरा जिला टीकमगढ म0प्र0 उम्र 45 वर्ष सम्बन्धित केस नं0 1110/13 धारा 138 NI ACT की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर सकरी पुलिया थाना बरूआसागर पर दिबश दी गयी, जो सकरी पुलिया थाना बरूआसागर पर मौजूद मिला। जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर दिनाँक 21.01.2025 को समय करीब 16.05 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। माननीय न्यायालय पेश किया गया।

नाम पता वारण्टी अभियुक्त

1. प्रेमनारायण पुत्र दुर्जन कुशवाहा निवासी बन्ने थाना पलेरा जिला टीकमगढ म0प्र0 उम्र 45 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-

- 1-उ0नि0 रामकृपाल सिंह थाना बरूआसागर जिला झाँसी।
- 2-हे0का0 290 इन्द्रेश कुमार थाना बरूआसागर जिला झाँसी।
- 3-हो0गा0 935 प्रदीप कुमार थाना बरूआसागर जिला झाँसी।